भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1195

उत्तर देने की तारीखः 06.12.2021

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर)

†1195 **श्री के. मुरलीधरन :**

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री सु. थिरूनवुक्करासर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा पटरी पर आ रही है और सभी बोर्डों के सरकारी स्कूलों में नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा महामारी के दौरान वित्तीय बाध्यता के कारण बच्चों को निजी विद्यालय छोड़ने पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन पर जोर देने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) : वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में जारी किया गया उपलब्धि सर्वेक्षण एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था।

(ग) से (ड) : केन्द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नामांकन में वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूलों को खोला जाना / उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूलों भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन, संचालन, आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों की स्थापना, नि:शुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन अभियान चलाना, आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुकूल छात्रावास / आवासीय शिविर आदि शामिल हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और स्कूलों में आईसीटी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों को मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है।

ड्रॉप आउट्स, कम नामांकन और अधिगम में होने वाली हानि को रोकने के लिए प्रवासी बच्चों की पहचान, सुचारू प्रवेश प्रक्रिया और उनकी सतत शिक्षा के लिए मंत्रालय ने 13 जुलाई, 2020 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सभी बच्चों की पहचान करने व कोई प्रक्रियागत औपचारिकता बिना उनका नामांकन करने को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को गुणवत्ता और समानता के साथ शिक्षा प्राप्त हो और देश में स्कूल शिक्षा पर महामारी का कम से कम प्रभाव हो, शिक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2021 को सभी राज्यों के साथ दिशा-निर्देश साझा किए हैं, जिनमें अन्य के अलावा, स्कूल न जाने वाले 6-18 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूल बंद रहने के दौरान छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, फिर से स्कूल खुलने पर छात्र सहायता और शिक्षकों का क्षमता निर्माण शामिल है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आकंडें संकलित करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी तैयार किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा पहचान किए गए ओओएससी और अपलोड की गई एसटीसी की बालक-वार जानकारी को वैधता प्रदान करता है।

*****